क्रमांक 435/17 वाद

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन [illegible] फटीदा [illegible] — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/3/18	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] है कार्य से बाहर है [illegible] अतः पत्रावली दिनांक 23/5/18 [illegible] उपखंड [illegible] करेड़ा
23/5/18	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~राजकीय~~ राजस्व लोक अदालत केम्प में व्यस्त है ~~कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/हड़ताल है~~ अतः पत्रावली दिनांक 12/6/18 को पेश हो। उपखंड [illegible] करेड़ा
12/6/18 नि॰ मरकंवर माधुसिंह	पत्रावली मुकाम मोटाखेड़ा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। वादीया एवं प्रतिवादी सं॰ 2 तथा पेशकार सरकार उपस्थित। वादीया ने वाद पत्र में अंकित तथ्य दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा तगड़ीया स्थित खतौनी सं॰ 172 एवं 175 कुल कित्ता-3 कुल रकबा 8.10 बीघा भूमी उसके स्व॰ पति गोपीसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड रही है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सं॰ 2066 से 2069 से होती है। वादीया के स्व॰ पति की मृत्यु पश्चात उपरोक्त वादग्रस्त 8.10 बीघा भूमी वादीया के तीनों पुत्र क्रमशः रतनसिंह, माधुसिंह एवं रणसिंह जो इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 है के नाम

Scanned by CamScanner

प्र०सं० 435/1781-वाद

न्यायालय उपखंड अधिकारी
फॉर्म सहायक कलक्टर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
करेड़ा (भीलवाड़ा)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज रेकार्ड कर दी गई। रकबा 5.17 बीघा का इन्तकाल सं० 156 निर्णय दिनांक 14.8.1987 तथा उसी दिन इ०नं० 159 निर्णय दिनांक 14.8.1987 रकबा 2.11 बीघा का पारित किया जाकर वादीया के तीनों पुत्रों के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गई। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार वादीया को अपनी माता स्वीकार नहीं किया जाकर पिता गोपसिंह की रखैल होना जवाबदावे में अंकित किया है परन्तु इसके साथ-साथ यह भी स्वीकार किया गया कि स्वयं प्रतिवादी सं० 1 तथा 2 व 3 वादीया एवं प्रतिवादीगणों के पिता गोपसिंह के नुत्फ / संसर्ग से उत्पन्न हुये हैं।

प्रतिवादी सं० 1 के जवाबदावे का खंडन प्रतिवादी सं० 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के इकबालिया से स्पष्ट है कि वादीया मोरकवर, गोपसिंह की बेवा होकर प्रतिवादी सं० 1 की भी माता है। उपरोक्त दोनों प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब में कहीं पर भी प्रतिवादी सं० 1 के कथन की पुष्टि नहीं की है। प्रतिवादी सं० 1 ने केवल मात्र अपने जवाबदावे में मात्र इतना अंकन किया है कि वादीया उसके बाप की रखैल

प्र.क्र. 435/17

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 9/5 (भीलवाड़ा)
	है परन्तु उसने कहीं पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि मोहरकवर गोपीसिंह की पत्नि नहीं है तो किसकी पुत्री है एवं यदि गोपीसिंह उसके पति नहीं है तो मोहरकवर के वास्तविक पति का क्या नाम है। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 14.8.1987 को इन्तकाल खोले जाने की जानकारी होना स्वीकार किया है जिसमें स्वयं अपना हिस्सा 1/3 दर्शाया है तो फिर क्योंकर किस अधिकार के तहत 1/4 भाग मदनमल जैन को विक्रय किया गया है। दिनांक 14/8/1987 को पारित इन्तकाल आज से लगभग 30 वर्ष पुराने प्रमाणित दस्तावेज है जिसमें पटोदा का स्पष्ट तौर पर स्वo गोपीसिंह की पत्नि (बेवा) दर्शाया है जिसका विरोध अथवा शुद्धिकरण हेतु प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आज तक भी कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी माता को ब्याहे रखैल होना बताया गया है परन्तु उक्त दोनों ना. सं. 156 व 159 निर्णय दिनांक 14/8/1987 के अध्ययन से यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित होता है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा एवं वक्त निर्णय कोरम में उपस्थित

Scanned by CamScanner

प्र.क्र. 435/17

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समस्त वाद सेम्बरान द्वारा ग्राम पंचायत के साथ वादीया को गोपीसिंह की बेवा अर्थात् नियम पत्नि होना प्रमाणित किया है।

इस प्रकार मामले समग्र रूप से विवेचन करने पर यह निर्विवादित तथ्य है कि उपरोक्त वादग्रस्त 8.10 बीघा भूमी विरासत के आधार पर पारित नामान्तरण दिनांक 14/8/1987 में वादीया को 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का भी 1/4 - 1/4 हक हिस्सा दर्ज किये जाने योग्य होने से वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर वादीया को उपरोक्त वादग्रस्त 8.10 बीघा भूमी में 1/4 हक हिस्से कास्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

वादीया का वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 स्वीकार किये जाने से एवं वादग्रस्त 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि में अन्य प्रतिवादीगण

प्र०क्र० 435/17

तारीख हुक्म

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
करेड़ा (भीलवाड़ा)

9/5

के साथ-साथ 1/4-1/4 हकहिस्से का स्वत्वधारी घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने से मौजा लाडीमा पटवार हल्का मोटा खेड़ा के आराजी नंबर 704/395 रकबा 05 बीघा 1 बिस्वा, आ०नं० 754/392 रकबा 09 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 5.19 बीघा तथा आ०नं० 705/394 रकबा 2.11 बीघा भूमी की दिनांक 14/8/1987 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए उपरोक्त 8.10 बीघा भूमि में वादीया तथा प्रतिवादी सं० 01 लगायत 03 के साथ-साथ प्रत्येक का हकहिस्सा 1/4-1/4 राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अंकन के तत्पश्चात की गई प्रविष्टियां निष्प्रभावी एवं शून्य घोषित की जाती हैं। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ......करेड़ा......

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- रजनी माधीवाल RAS

उनवान

श्रीमति मोहनदेवी पत्नी गोपाल सिंह .... बनाम .... (1) रतन सिंह पिता गोपाल सिंह उर्फ गोपाल सिंह राजपूत नि० कारोई (1) रतन सिंह उर्फ गोपाल सिंह ...

दावा बाबत .... वाद, बाबत घोषणा व स्थायी ...

मुकदमा नम्बर :- निर्णय (शा) 435/17 रा.वाद

निर्णय दिनांक :- 19/6/18

वादी की ओर से ..... स्वयं ..... की व प्रतिवादी की ओर से ..... स्वयं .....

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... 19/6/18 ..... को रजनी माधीवाल (नाम पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी ..... 19/6/18 ..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

~~वादीया का वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 स्वीकार किये जाने एवं वादग्रस्त 8 बीघा 10 बिस्वा भूमी में अन्य प्रतिवादीगण के साथ-साथ 1/4 - 1/4 हिस्से का स्वत्वधारी घोषित किये जाने आदेश प्रदान किये जाने से मौजा नगाईमा प०ट० मोहरा करेड़ा के आ०नं० 704/395 5.10 बीघा, आ०नं० 754/392 रकबा 0.09 बीघा, कुल किता ...~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ..... 19/6/18 ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(*) शेष आदेश क अनुसार दुसरे पर अंकित है

([signature])

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर ..... करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	—	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	—
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

अन्तवान

1. श्रीमति मोर कंवर पत्नि गोपसिंह उर्फ गोपालसिंह राजपूत नि० तगडीया त० रेवा।
2
—वादीया

बनाम

1- रतनसिंह पिता गोपसिंह उर्फ गोपालसिंह राजपूत नि० तगडीया त० केरा
2- नाथूसिंह पिता गोपसिंह उर्फ गोपालसिंह राजपूत नि० तगडीया
3- पूर्णसिंह पिता गोपसिंह उर्फ गोपालसिंह राजपूत नि० तगडीया
4- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार केरा
—प्रतिवादीगण।

———— x ———— x ————

शेष आदेश।

02 रकबा 5.19 बीघा तथा आ० नं० 7.05/394 रकबा 2.11 बीघा भूमी की दिनांक 14/8/1987 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए उपरोक्त 8.10 बीघा भूमी में वादीया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के सह खातेदार के रूप में एक हिस्सा 1/4-1/4 राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अंकन के तत्पश्चात की गई प्रविष्टियां निष्प्रभावी एवं शून्य घोषित की जाती है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर केरा

Scanned by CamScanner